राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव घोषणा पत्र :2009

प्रस्तावना:

पंद्रहवीं लोक सभा का चुनाव 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यह चुनाव सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जनमुखी-विकास के मुद्दे पर लड़ेगा । केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार मे राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुख भागीदारी रही है और इस दरमियान सामाजिक न्याय की धारा और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ विकास के मुद्दे को जोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद ने जो पहल की, उसके ठोस नतीजे देश और दुनिया के सामने आये ।
यू0पी0ए0 के साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय करने में सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुख भूमिका थी, जिसके आधार पर केन्द्र सरकार काम करती रही । इस बीच बिहार, झारखंड, मणिपुर एवं नागालैंड में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और चुनावों में वोटों की बढ़त के प्रतिशत के आधार पर भारत के निर्वाचन आयोग ने 24 जून 2008 को राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी । एक तरफ केन्द्र में आम जनता के पक्ष में काम करने वाली सरकार को बेहतर ढंग से चलाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ अपनी चाक-चौबंद संगठनात्मक तैयारी के कारण राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक ग्राफ काफी ऊँचा हुआ है । राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों-चाहे मँहगाई रोकने, ग्रामीण रोजगार मुहैया कराने, किसानों का कर्ज माफ करने, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम करने, आतंकवाद और उग्रवाद पर शिकंजा कसने का राष्ट्रीय मामला हो अथवा अमेरिका के साथ परमाणु-करार जैसा अन्तर्राष्ट्रीय मामला- राष्ट्रीय जनता दल ने जनता के हितों का ध्यान रखते हुए उसके पक्ष में अपनी स्पष्ट राय रखी ।

राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करता है । यही इसका वैचारिक आधार है । हमारा मानना है कि संसदीय लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिए हैं – सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता । इन दो पहियों की मजबूती से ही लोकतंत्र की गाड़ी विकास के रास्ते पर आगे बढेगी । इसलिए राष्ट्रीय जनता दल धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को स्थापित करने और सामाजिक न्याय की धारा को प्रशस्त एवं विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक समरसता और आर्थिक स्वावलम्बन लाने तथा दबे-कुचले लोगों को मान-सम्मान देने के लिए आरक्षण के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का हिमायती है । यह विभिन्न कोटि की सेवाओं में भर्ती के साथ-साथ प्रोन्नति में भी आरक्षण देने का पक्षधर है । शिक्षा और रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के साथ न्यायपालिका

में भी आरक्षण देने का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है । यह महिला-आरक्षण का भी समर्थक है । इसका मानना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं को भी उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए । ऊँची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए; इसके लिए संविधान में संशोधन किया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल मानता है कि भारत एक समन्वित संस्कृति (कम्पोजिट कल्चर) का देश है, जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं, रीति-रिवाजों, आस्थाओं और विश्वासों के लोग रहते हैं । विभिन्नता में एकता इसकी विशेषता है । भारतीय संविधान ने सबको अपनी आस्था के अनुरूप पूजा-इबादत और जीवन-यापन के अधिकार दिये हैं । किसी भी आधार पर नागरिकों में भेदभाव करना दंडनीय अपराध है । इसके बावजूद साम्प्रदायिक और फासीवादी शक्तियां घृणा और धार्मिक उन्माद फैला कर समाज में अशांति और हिंसा पैदा करना चाहती हैं । राष्ट्रीय जनता दल इन साम्प्रदायिक एवं कट्टरपंथी ताकतों की साजिशों को विफल करेगा तथा सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के सूत्र को मजबूत करेगा

बिहार के विकास की परिकल्पना

राष्ट्रीय जनता दल 15वीं लोकसभा के चुनाव में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन से अपेक्षा करता है कि पुनः केन्द्र की सत्ता में आने के बाद बिहार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे विशेष सहायता उपलब्ध करा कर इसे विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुँचाने की कार्य-योजना पर अमल करेगा । इसमें दो राय नहीं कि 2004 से पहले केन्द्र की एन0डी0ए0 सरकार द्वारा बिहार के हितों को अनदेखा किया गया था । आजादी की लड़ाई में बिहार की अग्रणी भूमिका थी, इसलिए यह अंग्रेजों का कोप भाजन बना । उम्मीद थी कि आजादी के बाद इसका मुनासिब हक मिलेगा । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । एन0डी0ए0 सरकार में इसकी हकमारी ही ज्यादा हुई थी । यहाँ तक कि राज्य के बँटवारे में झारखंड अलग होने के बाद केन्द्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज देने का वादा किया था, किंतु वह पैकेज नहीं मिला । बाद में 2004 में केन्द्र की सत्ता में आने के बाद यू0पी0ए0 सरकार ने जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुख भागीदारी रही है, बिहार को विभिन्न योजनाओं में भरपूर पैसा दिया है । केन्द्र की सत्ता में पुनः धर्मनिरपेक्ष सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, यातायात जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए विस्तृत कार्य-योजना तैयार कर साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल करेगा तथा बिहार में पानी की प्रचुर उपलब्धता के समुचित उपयोग के लिए

जल-संसाधन और मानव-संसाधन की एस क्रियात्मक संरचना विकसित करेगा, जो बिहार के विकास की वास्तविक बुनियाद होगी । इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आधारभूत संरचना के विकास पर राजद का बल होगा ।

प्रकृति ने बिहार को प्रर्याप्त जल-सम्पदा दी है, जिसका संरक्षण और समुचित उपयोग कर बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है । अभी हमारी विडम्बना यह है कि पानी के अनियंत्रित बहाव से उत्तर बिहार डूब रहा है, किंतु गंगा सूख रही है । इसके समाधान के मुद्दे पर भी हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं । जग जाहिर है कि नेपाल से पानी का अनियंत्रित बहाव प्रति वर्ष उत्तर बिहार में बाढ ला देता है, जिससे करोड़ों की आबादी प्रभावित होती है। 2008 की कोसी-विभीषिका इसका त्रासद उदाहरण है । राष्ट्रीय जनता दल केन्द्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन के बाद प्राथमिकता के साथ बाढ की समस्या के समाधान के लिए भारत-नेपाल दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनायेगा, ताकि उत्तर बिहार को बाढ के अभिशाप से मुक्त किया जा सके । इसी प्रकार पटना से दूर जाती सूखती हुई गंगा को भी वापस लाने का सवाल है । भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा नदियों को जोड़े की प्रस्तावित योजना के पीछे गंगा के पानी को ही अन्यत्र स्थानान्तरित करने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की साठ-गांठ से पानी बेचने की साजिश है । राष्ट्रीय जनता दल अपनी जल-सम्पदा के सरंक्षण के लिए बिहार के जन-जागृति पैदा करेगा और धर्मनिरपेक्ष सरकार पर समुचित जल-प्रबंध न नीति बनाने के लिए दबाव बनायेगा ।

राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद की प्रशासनिक क्षमता, प्रबंध कौशल एवं सूझ-बूझ से आज भारतीय रेल विश्व मे सफलता की एक अनूठी कहानी बन गयी है; जहाँ यात्री-सुविधा बरकरार रखते हुए यात्रा-किराया घटाकर बेहतर प्रबंधन से रेलवे की आमदनी में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गयी है । कभी घाटे मे चलने वाली रेल आज 90 हजार करोड़ के मुनाफे में है ।

देश के दुर्गम मार्गों तक रेल-सेवा का विस्तार हुआ है और अब जापान की तरह बुलेट ट्रेन चलाने का प्रयोग होने वाला है । खासतौर से बिहार में रेल मंत्रालय द्वारा विकास के सभी बुनियादी ढाँचों पर तेजी से काम हो रहा है । छपरा में रेल पहिया कारखाने का निर्माण-कार्य, मढौरा में डीजल और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने का काम प्रारंभ किया गया है । इतना ही नहीं, भारत वैगन लिमिटेड के मोकामा एवं मुजफ्फरपुर मे स्थित वैगन कारखाना को रेल मंत्रालय ने लिया है और अब इन इकाइयों को पुनर्जीवित किया जा रहा है । धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बिहार के विकास की इस मूर्त परिकल्पना

(विजन) के साथ 15वीं लोकसभा के चुनाव में वोट मांगेगा और केन्द्र की सत्ता में आने के साथ इसे कार्यान्वित करेगा ।

आतंकवाद और साम्प्रदायिकता

आज देश के सामने दो ज्वलंत समस्याएँ हैं – आतंकवाद और साम्प्रदायिकता । राष्ट्रीय जनता दल मानता है कि ये दोनों जुड़वाँ बहने है । इसलिए एक ही धरातल पर इनसे निपटना होगा । इसके लिए आतंकवाद-रोधी कानून में संशोधन करते हुए साम्प्रदायिकता को भी उसमें शामिल किया जायेगा । हम आतंकवाद और साम्प्रदायिकता दोनों को समूल नष्ट करने की नीति पर काम करेंगे ।

पंचायती राज : स्थानीय स्वशासन

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र मे सत्ता विकेन्द्रीकरण है । राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज-व्यवस्था को पूर्णतः लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है । ग्राम सभा प्रशासन की इकाई और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम होगी । वह स्वयं बजट बनाएगी और विकास-कार्यो पर खर्च करेगी ।

राष्ट्रीय जनता दल की भागीदारी में केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार ने गाँवों में पंचायती रज और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं और नगर निगमों के सुदृढीकरण द्वारा स्थानीय स्वशासन का मार्ग प्रभावकारी संस्थान के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इन्हें अधिकार सम्पन्न बनाया गया है ताकि जनता की रोजमर्रे की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके । ग्राम-कचहरी को सक्रिय और साधन-युक्त बनाया जायेगा । महात्मा गाँधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी । उनका मानना था कि स्वराज होगा तो जनता खुद विकास कर लेगी ।

राष्ट्रीय जनता दल पंचायतों और नगर निकायों को अधिक से अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देकर मजबूत बनाने का पक्षधर है, ताकि स्थानीय-स्वशासन को सफल बनाया जा सके तथा जन-समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निपटारा हो सके ।

राष्ट्रीय जनता दल सुनिश्चित करेगा कि पंचायत और नगर निकाय अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपना विकास बजट स्वयं तैयार करें तथा जरूरत के अनुसार खर्च करें । प्रशासनिक अधिकार के साथ-साथ यह वित्तीय अधिकार भी उन्हें दिया जायेगा ।

अभी बिहार में पंचायती राज-व्यवस्था में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महादलितों जो भागीदारी हुई है, उन्हें प्रशासनिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है । बी0डी0ओ0, सी0ओ0 और अन्य अधिकारियों द्वारा फर्जी मुकदमों में फंसा कर उन्हें पदच्युत कर दिया जाता है । राष्ट्रीय जनता दल इन जनप्रतिनिधियों के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा ।

राजद द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाएँगे, जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेन्द्रीकरण का लाभ मिल सके ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

राष्ट्रीय जनता दल की भागीदारी वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाकर ग्रामीण स्तर पर रोजगार मुहैया कराने का ऐतिहासिक कदम उठाया है । आजादी के बाद गरीबों के हक में यह क्रांतिकारी कानून है, जिसके अनुसार औसतन हर पंचायत में कम से कम 500 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार हर वर्ष मिलेगा । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार चाहने वालों को प्रतिदिन 100 रू0 की दर से 100 दिन का काम दिया जाएगा । यदि जौब कार्डधारी को किसी कारणवश रोजगार नहीं मिलता, तो उस अवधि का बेरोजगारी भत्ता पाने का वह हकदार होगा । राष्ट्रीय जनता दल इस ऐतिहासिक कानून को शत-प्रतिशत लागू करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएगा । सभी वर्गो के गरीब लोगों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया जायेगा ।

सूचना का अधिकार : आम आदमी का हथियार

राष्ट्रीय जनता दल मानता है कि केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार ने सूचना का अधिकार संबंधी कानून बनाकर आम जनता के हाथ मे बहुत बड़ा हथियार दिया है । इस कानून के जरिए जनता को जानकारी पाने का हक हासिल हुआ है । कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत सरकारी काम-काज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है । यह कानून संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी देन है । राष्ट्रीय जनता दल इसे पूरी तरह लागू करने और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पहल करेगा ।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

राष्ट्रीय जनता दल मानता है कि किसानों और मजदूरों के जीवन-स्तर में सुधार देश के विकास का वास्तविक आधार है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के ये की कर्णधार है । भाजपा गठबंधन सरकार में इनके हितों की घोर अपेक्षा हुई थी । एन0डी0ए0 सरकार की नीतियाँ किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और आम जन विरोधी थीं । इसके फलस्वरूप लाखों मजदूरों की छंटनी हुई है और विभिन्न राज्यों में किसानों ने निराशा में आत्महत्या की थी । किंतु केन्द्र में यू0पी0ए सरकार बनने के बाद किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ दी गयी । किसानों के 74 हजार करोड़ रूपये के कर्ज माफ कर दिये गये ।

राष्ट्रीय जनता दल पुनः किसानों और मजदूरों के हित में प्रभावकारी कदम उठायेगा । उन्हें खेती के लिए समुचित सब्सिडी उत्तम बीज, खाद, डीजल, सिंचाई-सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ ट्यूबवेल लगाने, ट्रैक्टर तथा खेती के औजार खरीदने के लिए आसान शर्तों पर ऋण दिलाया जायेगा । किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाया जायेगा और पर्याप्त क्रय केन्द्र कायम किये जायेंगे । किसानों के बीच काम करने वाली सहकारी समितियों को सुदृढ बनाया जायेगा । किसानों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की जायेगी ।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के खेत मजदूरों और अन्य पेशागत समूहों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । इसके लिए लघु एवं कुटीर उध्योग खड़े किये जायेंगे । ग्रामीण हस्त शिल्प को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

शहरी क्षेत्र के कामगारों एवं मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जायेंगे । उनको आवास एवं स्वास्थ्य-सुविधाएँ मुहैया करायी जायेंगी । मजदूर कालोनियों में बच्चों के लिए स्कूल बनाये जायेंगे ।

राष्ट्रीय जनता दल का यह भी मानना है कि जब तक कृषि क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक नहीं बनाया जाता है, तब तक हमारे देश में समृद्धि संभव नहीं है । आत्मनिर्भर आर्थिक प्रगति ही ग्रामीण विकास का आधार है ।

1 राष्ट्रीय जनता दल कृषि क्षेत्र के ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है । हम कृषि में

उत्तम श्रेणी के बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक आदि की व्यवस्था करेंगे । कृषि उत्पादों के रख-रखाव की उचित व्यवस्था, पहुँच-पथ तथा उचित बाजार की व्यवस्था होगी ।

2 राष्ट्रीय जनता दल कृषि, ग्रामीण विकास तथा कल्याण के मामले में पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था और सिंचाई पर योजना खर्च में वृद्धि की जायेगी ।

3 खाद्यान्न प्रसंस्करण, यातायात एवं व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को उठाया जायेगा जिससे कि किसान अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त कर सकें और कृषि के उत्पाद लाभ में वृद्धि कर सकें ।

4 कृषि कार्य के पुराने तरीके के अलावा जैविक, रसायन और कीटनाशक तरीके पर आधारित कृषि पर बल दिया जायेगा, जिससे कि भारत के दीर्घकालिक भोजन एवं पौष्टिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और वातावरण पर न्यूनतम दबाव पड़े ।

5 ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से ऋण की व्यवस्था करना और ऐसा वातावरण तैयार करना, जिससे कि कृषि में पूँजी निर्माण सहज रूप से हो सके । हमलोग किसानों को ऋण के लिए कृषक कार्ड का प्रचलन करवायेंगे ।

6 कृषि में नई पद्धति के कम खर्च वाले सहज प्रोद्यौगिकी के विकास को बढावा दिया जायेगा और ऊँचे सुरक्षा स्तर के साथ लागू किया जायेगा ।

7 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसानों को घटिया किस्म के बीज या खाद की आपूर्ति न हो । प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति के लिए फसलों का बीमा भी कराया जायेगा ताकि किसान बर्बाद नहीं हो ।

राष्ट्रीय जनता दल अंतर्राज्यीय नदियों के जल बँटवारे पर देश में एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करेगा । सभी अंतर्राज्यीय विवादों का स्थायी समाधान तलाशा जाएगा और उसका कार्यान्वयन किया जाएगा । राष्ट्रीय जनता दल नेपाल के साथ नदी जल के कारण बाढ की स्थिति पर द्विपक्षीय वार्ता करने का प्रयास करेगा ।

हर साल देश की सिंचाई क्षमता बढाने की कोशिश होगी । यह भी जरूरी होगा कि देश के सूखाग्रस्त इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाए और सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) का विस्तार किया जायेगा ।

गरीबी उन्मूलन राष्ट्रीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है । चूंकि भूमिहीन लोगों के बीच घोर गरीबी होती है । राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ऐसे लोगों को जौब कार्ड देगा और उन्हें रोजगार मुहैया करायेगा ।

राजद वर्तमान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को संगठित करके उनके क्रियान्वयन पर होने वाले खर्च में कमी लाएगा और गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए और अधिक धन उपलब्ध करायेगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस धनराशि का बड़ा हिस्सा लाभ पाने वाले चिन्हित लोगों तक पहुंचे, राजद इन्हें ग्राम सभा में राय-मशविरा करके पंचायतों द्वारा कार्यान्वित करने को प्रोत्साहन देगा । इससे इन कार्यक्रमों में पारदर्शिता बढेगी और लोगों की भागीदारी में भी बढोत्तरी होगी ।

राष्ट्रीय जनता दल कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मरदूरों के मूलभूत अधिकारों के रक्षा के लिए कानून बनाये जाने के पक्ष में है जो इस प्रकार है – न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, पेंशन एवं अन्य सामाजिक लाभ, बासगीत भूमि की व्यवस्था, कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए पुरूष के बराबर मजदूरी ।

राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्र की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है । पिछले कारगिल प्रकरण में देश ने मजबूत एकता क परिचय दिया । लोग क्षेत्र, भाषा, जाति तथा मजहब के भेद को भूल गये । सम्पूर्ण राष्ट्र दुश्मनों को अपनी जमीन से निकाल बाहर करने की फौजी कार्रवाई के पीछे खड़ा रहा । इसी प्रकार 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई में आतंकी हमले के खिलाफ सारा देश एकजुट होकर प्रतिरोध में खड़ा हुआ ।

राष्ट्रीय जनता दल देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा तथा इसे सही दिशा देगा । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कारगिल तथा मुम्बई के आतंकी हमले की घटना से सीख लेकर निम्नलिखित काम करेंगे –

1 एक ऐसी रक्षा नीति का निर्माण जो स्पष्ट, विस्तृत तथा एकीकृत होगी ।
2 रक्षा, गृह और विदेश मामलों के मंत्रालयों के बीच महत्वपूर्ण स्तरों पर सामंजस्य स्थापित किया जायेगा ।
3 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन कर पूर्णकालिक सलाहाकार रखना । परिषद का चरित्र सुरक्षा विशेषज्ञ का रहे तथा सभी जरूरी संसाधनों के साथ इसका अपना सचिवालय हो ।

4 गुप्तचर सेवाओं के मूल्यांकन में सामंजस्य, नीति निर्धारण और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचारों के प्रबंधन पर दिशा निर्देश देना ।

5 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दीर्घकालिक चौकसी की व्यवस्था । चौकसी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, जो देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा करने वाली ताकतों की सूचना दे । देश के लोगों एवं देश से बाहर के लोगों में बाहरी उग्रवाद और सीमा पर देशद्रोहियों द्वारा घुसपैठ के बारे में जानकारी देना । चौकस एवं उचित रायनयिक कार्रवाई करना, जिससे कि देश की सुरक्षा और भारत की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रहे ।

खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा

भारत ने खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है । हमलोग खाद्यान्नों एवं अन्य कृषिजन्य उत्पादों के निर्यातक भी हैं । भारत में फूड प्रोडक्ट्स उद्योग है । लेकिन हर परिवार के लिए भरपेट तथा स्वास्थ्य-वर्द्धक भोजन का लक्ष्य अभी हासिल करना बाकी है, क्योंकि जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से के पास क्रय शक्ति की कमी है । पौष्टिक भोजन के विषय मे जागरूकता की भी कमी है । एक उन्नत सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने की भी आवश्यकता है, जो कि उचित दाम पर आवश्यक सामग्री प्रदान करे । राजद यह कोशिश करेगा कि गरीबों को उचित स्तर का खाद्य एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध हो । केवल मुख्य फसलों पर निर्भर रहने की बजाय हम कम इस्तेमाल किए जा रहे अनाजों, फलों और सब्जियों को भी खाद्यान्न की मुख्यधारा में लायेंगे जिससे कम दामों पर अधिक खाद्य उपलब्ध हो सके ।

राष्ट्रीय जनता कल बी0पी0एल0 परिवारों को प्रतिमाह 30 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें चावल दो रूपये प्रति किलो गेहूँ डेढ़ रूपये प्रति किलों उपलब्ध करायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ आहार नीति भी बनाने की जरूरत को महसूस करता है । पूरक पौष्टिक प्रोग्राम को जो कि एकीकृत बाल विकास सेवा के अन्तर्गत लागू किया जा रहा है, उचित साधन मुहैया कराया जाएगा । स्कूलों में दोपहर के भोजन योजना को और कारगर किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाया जाएगा, ताकि लोगों को उचित दर पर आवश्यक वस्तुएं मिलती रहें । प्रोटीन समृद्ध दलहनों का उत्पादन बढाया जाएगा । जी डी पी का 1% प्रतिशत पौष्टिक खाद्य से संबंधित कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा ।

भूमि सुधार

राष्ट्रीय जनता दल भूमि सुधार के लिए समुचित कदम उठायेगा, ताकि भूमि की व्यक्तिगत मिल्कियत पर सीमा लागू हो । यह सीमा सिंचित जमीन के मामले में 10 एकड़, असिंचित के लिए 15 एकड़ और ऊसर जमीन के लिए 25 एकड़ होगी । तौर-तरीके तय करने के बाद हम शहरी भूमि पर भी सीमा लागू करेंगे । भूमिहीनों के हाथ में उत्पादन का साधन देने की नीति के अन्तर्गत हमारा प्रयास होगा कि भूमिहीनों को न सिर्फ बासगीत का पर्चा दिया जाये; बल्कि उन्हें भू-धारी बनाने के लिए सरकार जमीन खरीदकर भी उन्हें भू-धारी बनाएगी । इससे उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आयेगा ।

अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत और विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्ष में है । इसके अलावा हम श्रम प्रधान उद्योग के विकास को बढावा देंगे, जिसके अन्तर्गत ऐसे छोटे उद्योगों पर बल दिया जायेगा । जिनमें हमारे औद्योगिक श्रमिकों की 85 प्रतिशत संख्या को रोजगार मिलता है ।

वित्तीय अनुशासन के इस सिद्धांत को कि राज्य को अपना हाथ खींच लेना चाहिए और निजी क्षेत्रों को धन और संसाधन सौंप देना चाहिए, हम अस्वीकार करते हैं । हम यह नही मानते हैं कि सरकार की सभी कार्रवाइयां खराब और निजी क्षेत्र की सभी कार्रवाइयां अच्छी होती हैं । हम इस पक्ष में हैं कि सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे समाज कल्याण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ।

हम इस बात का भरपूर समर्थन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में हमारे आदान-प्रदान के लिए सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए ।

हम पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट जैसे गतिमान रूपये के मामले में सुरक्षित तंत्र जुटाएंगे, जैसे कि रूपया वापस न ले सकने की अवधि बढाना ।

हम एस ऐसा उपयुक्त व्यापारिक शासन (टैरिफ और आयात संबंधी सीमा) लागू करेंगे, जिससे छोटे और ग्रामीण उद्योग और उसमें रोजगार की संभावनाओं की रक्षा हो सके ।

हम पूँजीगत कामों पर अलग-अलग दरों की कर व्यवस्था करेंगे ।

हम मछुआरे, बुनकर, पासी तथा दूध इत्यादि की कमाई पर कर माफ करेंगे ।

हमारी विकास योजना का मौडल ऐसा होगा जिससे भूख और बेरोजगारी को दूर किया जा सके । हमारा यह मानना है कि आर्थिक योजना तैयार करने का उद्देश्य केवल उत्पादन को बढावा ही नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करना भी है । जैसा कि पश्चिम की समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी की बढती हुई संख्या से पता चलता है कि उत्पादकता बढाने से रोजगार बढने की कोई गारंटी नहीं है ।

हम ऐसे आर्थिक विकास को बढावा नहीं देंगे, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से बंधा हो । ऐसे अधिकार ज्ञान तथा संपत्ति को कुछेक हाथों में केंद्रित करके बाकी लोगों को वंचित करते हैं ।

शिक्षा

राष्ट्रीय जनता दल समाज को जागरूक एवं शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षा को अत्यंत जरूरी समझता है । इसे वह ऐसा साधन मानता है जिसके जरिए जनता में सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक चेतना सही मायनों में लाई जा सकती है ।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था को सुदृढ किया जायेगा । विद्यालय भवनों कि मरममत, नये भवनों का निर्माण और उनमें उपस्करों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होगा और खेलकूद की व्यवस्था की जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा । सर्व शिक्षा अभियान के तहत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों एवं कमजोर वर्गों के बीच 300 घरों की आबादी पर एक विद्यालय खोला जायेगा और इसकी व्यवस्था पंचायतों को सौंपी जायेगी ।

राष्ट्रीय जनता दल उच्च शिक्षा में अनुसंधान एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने पर बल देगा । विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जायेगी । तकनीकी संस्थानों में भी नामांकन के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा । केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार ने बिहार को एस नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जनता दल पटना विश्वविद्यालय को उसकी गरिमा के अनुरूप केन्द्रीय विद्यालय का दर्जा दिलायेगा । यदि

किसी अन्य राज्य की ऐसी मांग होगी तो उसके दावे पर भी विचार किया जायेगा । उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के निकायों यथा- यू0जी0सी0, इतिहास अनुसंधान परिषद, एन0सी0ई0आर0टी0 की स्वायत्तता और उसके लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बहाल किया जायेगा । राष्ट्रीय जनता दल जरूरतमंद विद्यार्थियों को बिना गारंटी उनके कौलेज पहचान पत्र के आधार पर ऋण उपलब्ध करायेगा ।

संस्कृति

राष्ट्रीय जनता दल संस्कृति के समन्वित (कम्पोजिट) स्वरूप में विश्वास करता है । इसका मानना है कि संस्कृति इकहरी नहीं, संश्लिष्ट (मिली-जुली) होती है और इसके निर्माण में विभिन्न वर्गों और समुदायों का योगदान होता है । इसके विपरीत भाजपा एवं आर0एस0एस0 संस्कृति को इकहरी और खाटी मान कर समाज के दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों के योगदान को अस्वीकार करते हैं । उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रकार से सांस्कृतिक अलगाववाद है । अल्पसंख्यक समुदाय के बुद्धिजीवियों और कलाकारों को निशाना बना कर साम्प्रदायिक शक्तियों ने पिछले वर्षों में जो बर्बर व्यवहार किया है, वह सर्वविदित है । यही स्थिति साम्प्रदायिकता एवं कट्टरपंथ से समझौता नहीं करने वाले लेखकों, कलाकारों और रंगकर्मियों की रही है, जिन्हें प्रताड़ित एवं अपमानित किया गया है ।

राष्ट्रीय जनता दल भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति और साझी विरासत को बचाने के लिए संकल्पबद्ध है । यह साहित्य, कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध करायेगा और उन्हें सम्मानित करेगा । साहित्य अकादेमी, ललित कला अकादेमी और संगीत नाटक अकादेमी का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार तथा आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों में स्थापित किया जायेगा । आई0सी0सी0आर0 के माध्यम से सांस्कृतिक-विनिमय कार्यक्रम को बढाया जायेगा और विभिन्न राज्यों लेखकों, कलाकारों और संस्कृति-कर्मियों को अवसर उपलब्ध कराया जायेगा ।

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय जनता दल मानता है कि स्वस्थ समाज से ही राष्ट्र सबल होता है । हमारे प्रयास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और पशु चिकित्सा पर केन्द्रित होंगे । स्वास्थ्य के कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद,यूनानी के साथ होमियोपैथी आदि को हम प्रमुखता देंगे ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर व्यापक रूप से पुनर्विचार किया जाएगा । आवश्यकतानुसार नई स्वास्थ्य नीति बनायी जायेगी और इसके लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी । नवनिर्मित नीति की मुख्य विशेषता स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिकीकरण तथा इलाज के पारंपरिक पद्धतियों के अनुरूप एक नई जनस्वास्थ्य नीति, जिसका लक्ष्य देश की मिली-जुली स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना होगा । यह विशेष रूप से गरीब तबके के लोगों के स्वास्थ्य अधिकार को ध्यान में रखेगा और बेरोजगारी, गरीबी और दूषित वातावरण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा । महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य नीति भी इसमें शामिल की जाएगी । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू किया जाएगा ।

जनसंख्या स्थिरीकरण

राष्ट्रीय जनता दल की राय में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों में स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा । उनमें जागरूकता पैदा करना और उनको छोटे परिवार के लाभ के बारे में सूचना देना तथा परिवार को छोटा रखने के लिए तरीकों के बारे में जानकारी देना इसका लक्ष्य होगा । देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या नियंत्रण का भिन्न-भिन्न तरीका अपनाना होगा ।

हमारा यह मानना है कि सामाजिक स्तर के सुधार का घटती जन्म दरों से गहरा संबंध है । बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके हम शिशु मृत्यु दर को काम करने का प्रयास करेंगे । इसके अलावा माता बच्चे की देखभाल को बेहतर बनाकर छोटे परिवार के लिए वातावरण तैयार करेंगे ।

रोजगार

राष्ट्रीय जनता दल इस बात से चिन्तित है कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढी है । नवजवान हाथों को काम नहीं मिला रहा है ।

राष्ट्रीय जनता दल सर्वेक्षण कराकर ऐसे प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी अथवा स्वनियोजन का अवसर उपलब्ध करायेगा, जिसे आजादी के बाद आज तक आजीविका का कोई सुनिश्चित आधार नहीं है ।

सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले क्षेत्र कृषि है । कृषि के क्षेत्र में लगातार वृद्धि करके रोजगार के नये अवसरों को सुनिश्चित किया जा सकता है । यह बात उन क्षेत्रों के

लिए विशेष रूप से लागू होती है जहाँ संभावनों की कमी तो नहीं है, लेकिन संस्थागत, ढांचागत और तकनीकी बाधाओं के कारण वहां कृषि का पूरी तरह विकास नहीं हो पा रहा है । इन क्षेत्रों में कृषि के त्वरित विकास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ।

बागवानी, एक्वाकल्चर, वानिकी, पशुपालन और ख़ाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी रोजगार के नये अवसरों का निर्माण किया जायेगा । इसके लिए इन क्षेत्रों में नये निवेश, ऋण, विपणन और औद्योगिकी को लाने की जरूरत है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र भी हाल के वर्षों में रोजगार मुहैया कराने वाला एक प्रमुख़ क्षेत्र बनकर उभरा है । कई मायनों में ऐसा कृषि कार्य के विकास के कारण ही हुआ है । इस क्षेत्र में निवेश किया जाएगा और इसे तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी ।

कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एक दीर्घकालीन नीति अपनाई जाएगी । यह किसानों की आय बढाने के साथ रोजगार के नये अवसर भी पैदा करेगी ।

राष्ट्रीय जनता दल ख़ादी और ग्रामोद्योग आयोग (के0वी0आई0सी0) को एक नया स्वरूप प्रदान करेगा । के0वी0आई0सी0 को एक आधुनिक, शोध आधारित और ग्राहकों की जरूरतों पर आधारित संगठन के रूप में विकसित किया जाएगा । वस्त्र, हैण्डीक्राफ़्ट्स, नग एवं आभूषण, चमड़े के सामान, साफ़्टवेयर, हल्की इंजीनियरिंग और ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं जिनके उत्पादन में मानव श्रम का उपयोग होता हो, का निर्यात बढाकर भी रोजगार के नये अवसर पैदा किये जा सकते हैं ।

सेवा क्षेत्र एवं स्वरोजगार क्षेत्र की भी रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका हैं । इन दोनों के विस्तार के लिए इन्हें वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और इनके विकास के मार्ग में बाधाओं के रूप में आने वाले कानूनों और नियमों में संशोधन किया जाएगा ।

पूरे देश में तकनीकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रणाली का विस्तार किया जाएगा और उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा । कृषि विज्ञान केन्द्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, पोलीटेक्निक और टूल-रूम्स के प्रबंध में निजी क्षेत्र को जोड़ा जाएगा । रोजगार केन्द्रों द्वारा रोजगार मुहैया कराने संबंधी सेवाओं का विस्तार करके उन्हें और अधिक पेशेवर रूप दिया जाएगा । शिक्षित बेरोजगारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । हमारा यह मानना है कि हर व्यक्ति को लाभकर रोजगार हासिल करने का हक है । हम ग्रामीण युवाओं को उनके कौशल और स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार देने का भरपूर प्रयास करेंगे । हम ख़ेती से जुड़े और इससे हटकर, अन्य साधनों से आय पैदा करने के

अवसर जुटायेंगे, जैसे – इलाके के मुताबिक बढिया किस्म का बीज तैयार करना, कलम और टिशू कल्चर लगाना, उच्च स्तर की जड़ी-बूटियों से दवाएं तथा प्रसाधन सामग्री व जैव-उर्वरक और जैव कीटनाशक का उत्पादन करना । इसके अलावा लहठी, चूडी, जरी, दस्तकारी एवं अन्य ग्रामीण-शिल्प को बढावा दिया जायेगा; जिससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन हो सके ।

पेयजल

राष्ट्रीय जनता दल केन्द्र की सत्ता में आने पर त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को प्राथमिकता सूची में रख़ेगा । देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आसपास पानी उपलब्ध नहीं रहता, दूर-दराज से महिलाओं को पानी लाना पड़ता है । गड्ढों और गंदे तालाबों के पानी के इस्तेमाल से नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं । राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल लगाने की व्यवस्था करायेगा । सूख़ाग्रस्त क्षेत्रों में जहां सालों भर पानी की किल्लत रहती है , पंचायत- स्तर पर जल-मीनार का निर्माण करायेगा, ताकि पेयजल की समस्या का समाधान हो सके । राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को युद्ध-स्तर पर लागू करेगा ।

महिला सशक्तिकरण

राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर जुटाकर उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं । हम महिलाओं की सामाजिक और जनसंख़्या संबंधी स्थिति का ख़्याल रख़ते हुए उनके लिए सभी स्तरों पर आरक्षण लागू करेंगे ।

राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि यदि निम्नलिख़ित क्षेत्रों में उचित रूप से ध्यान दिया जाय तो आने वाले दशक में महिलाओं के विकास के लिए मजबूत आधार बनेगा :

1 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाना ।
2 समान कानूनी दर्जा दिलाना ।
3 महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना ।
4 स्थानीय स्वशासी सरकार में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी ।
5 सरकारी क्रियाकलापों में महिलाओं की सामुदायिक हिस्सेदारी को बढावा (गैर सरकारी संस्थानों में भी) देना ।

6 महिलाओं के प्रति मीडिया का सकारात्मक दृष्टिकोण ।

सामाजिक न्याय

राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की अवधारणा को उसकी पूर्णता में स्वीकार करता है। वह मानता है कि हर मनुष्य को मानवीय आदर तथा तरक्की के लिए समान अवसर पाने का अधिकार है । आजादी के इतने वर्षों बाद भी आबादी के बहुत बड़े हिस्से को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है । वोट के अधिकार तथा सामाजिक न्याय आंदोलन ने उन शोषित-वंचित तबकों में असाधारण चेतना का संचार किया है । राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का गर्व है कि वह इस ऐतिहासिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है । शोषित, वंचित तबकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, हुनर आदि बढाने के लिये विशेष योजना चलाई जानी चाहिए ताकि वे बराबरी पर आ सकें और सामाजिक तथा आर्थिक असंतुलन को दूर किया जा सके । राष्ट्रीय जनता दल इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ संकल्पित है और सरकार में आने पर इसका प्रावधान करेगा ।

आरक्षण नीति

राष्ट्रीय जनता दल मानना है कि सामाजिक न्याय जैसी व्यापक अवधारणा की पूर्ति के लिए 'आरक्षण नीति' एक सुदृढ स्तंभ है । लिहाजा राष्ट्रीय जनता दल अभिवंचितों को विशेष अवसर दिये जाने का सदैव प्रबल पक्षधर रहा है । यह सिद्ध तथ्य है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन0डी0ए0) सरकार आरक्षण नीति का प्रबल विरोधी रही थी । अब तक केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण नीति आधे-अधूरे मन से लागू होनी रही है । फ़लतः सरकारी सेवाओं में इन तबकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अभी भी एक सपना है । राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत आरक्षण नीति का पक्षधर है । इसके लिए बिहार के तर्ज पर एक कानून बनाया जायेगा और आरक्षण नीति की अवहेलना को संज्ञेय अपराध घोषित किया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल सरकारी सेवाओं में ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए भी आरक्षण का समर्थक है । लेकिन इसके लिए आरक्षण की सीमा (जो आज 50 प्रतिशत है) को बढाना होगा और संविधान में संशोधन करना होगा । राष्ट्रीय जनता दल इस आशय से प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक का समर्थक करेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण से तात्पर्यित संसद में लंबित (महिला आरक्षण विधेयक) का भी पक्षधर है । परन्तु हमारी दृढ राय है कि महिलाओं के लिए लागू आरक्षण में अनुसूचित जातियों/जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख़्यक वर्गों की महिलाओं के लिए उनकी आबादी के अनुरूप कोटा सुनिश्चित किया जाये ।

उदारीकारण की नीति के कारण चूंकि सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सिमटते और निजी क्षेत्रों में बढते जा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण नीति लागू की जाये ।

जैसा कि संसद द्वारा गठित 'करिया मुंडा समिति' की रिपोर्ट है, न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य है इसलिए राष्ट्रीय जनता दल न्यायपालिका में भी आरक्षण-व्यवस्था लागू किये जाने का प्रयास करेगा ।

धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार

राष्ट्रीय जनता दल धर्मनिरपेक्षता को जीवन-मूल्य के रूप में स्वीकार करता है । हम एक ऐसे प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण के लिए वचनबद्ध हैं जहां सभी लोगों के अधिकारों और आत्म-सम्मान की रक्षा हो सके । हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सबको विशेषकर दलितों और अल्पसंख़्यकों को राज्य की आरे से सुरक्षा प्राप्त हो और वह भी निश्चित करेंगे कि जिन इलाकों में लोग असुरक्षित हैं, वहां पुलिस चौकियां स्थापित कि जाएं ताकि सुरक्षा और बचाव कार्रवाई में देर न हो ।

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संविधान द्वारा जो भी अधिकार दिए गए हैं, उन सब अधिकारों को बरकरार रख़ा जाएगा । हमारा यह लक्ष्य है कि सबको न्याय और बराबरी का दर्जा मिले । इस लक्ष्य के अनुरूप हम धार्मिक और जातीय अल्पसंख़्यकों को एक सुरक्षित परिवेश में बेहतर शिक्षा और रोजगार देकर उनका उत्थान करने के लिए कार्य करेंगे । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किये जा रहे 50 प्रतिशत से अधिक के आरक्षण को आवश्यक कानूनी उपायों द्वारा पूरा किया जायेगा । राष्ट्रीय जनता दल सभी राज्यों में मंडल कमीशन के तर्ज पर आरक्षण को सख़्ती से लागू किये जाने के लिए कानून बनाये जाने के पक्ष में हैं ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बैकलौग को अभियान चलाकर भरा जायेगा ।

अल्पसंख़्यक

राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख़्यक समाज के चौतरफ़ा विकास के लिए प्रतिबद्ध है । सभी स्तरों पर इनके मान-सम्मान की रक्षा और राज-काज में भागीदारी हमारा नीतिगत फ़ैसला है । हम इस बात से चिन्तित हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी सरकारी नौकरियों में अल्पसंख़्यक समुदाय की भागीदारी 2% (प्रतिशत) है । इस दृष्टि से इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक विकास के लिए राष्ट्रीय जनता दल निम्नलिखित कदम उठायेगा :-

1 सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों में नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख़्यक विद्यार्थियों के नामांकन के लिये उनकी आबादी के अनुसार सीट रिजर्व की जायेगी और इसके लिये जरूरी कानून बनाये जायेंगे तथा मौजूदा कानून में आवश्यक फ़ेरबदल किया जायेगा । साथ ही भारतीय संविधान की धारा 341 में संशोधन करके दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जायेगा ।

2 सच्चर कमिटी के सिफ़ारिशों को लागू किया जायेगा तथा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट को संसद में पेश कर उसको लागू किया जायेगा । सरकारी एवं अर्द्धसरकारी सेवाओं में अल्पसंख़्यकों को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जायेगा ।

3 प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम जो अल्पसंख़्यकों के विकास से संबंधित है, उसको प्रभावशील और कार्यरत बनाया जायेगा ।

4 केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं में अल्पसंख़्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में बजट में मुनासिब रकम का प्रावधान किया जायेगा ।

5 अल्पसंख़्यकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए एक दंगा-रोधी बल (Anti Riot Force) का गठन किया जायेगा जिसमें अल्पसंख़्यकों का भी मुनासिब प्रतिनिधित्व होगा ।

6 राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि साम्प्रदायिकता और आतंकवाद जुड़वा हैं । ये दोनों एक ही सिक्का के दो रूप हैं । इसलिए साम्प्रदायिकता की समाप्ति के लिये उसी तरह का कानून बनाया गया है । अतः आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधन करके साम्प्रदायिकता को भी शामिल किया जायेगा ।

7 अल्पसंख़्यकों से संबंधित सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विकास- योजनाओं की स्थायी और प्रभावशील निगरानी के लिए अल्पसंख़्यक लोगों पर आधारित एक कमिटी का गठन किया जायेगा जिसको निगरानी के सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे और ऐसे ठोस

प्रभावशील उपाय किये जायेंगे जिससे अल्पसंख़्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में मजबूती और बेहतरी प्राप्त होगी ।

8 अल्पसंख़्यक समुदाय को विश्वास में लेकर वक्फ़ संबंधी कानून बनाया जायेगा । वक्फ़ कानून 1995 में संशोधन कर निम्नलिख़ित प्रावधान किया जायेगाः-

(क) तमाम वक्फ़ सम्पत्ति का अनिवार्य सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा और सर्वे रिपोर्ट सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी ।

(ख़) वक्फ़ सम्पत्ति से संबंधित तमाम जानकारियाँ इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई जायेंगी ।

(ग) भूमि अधिग्रहण एवं हदबंदी कानून से वक्फ़ सम्पत्ति को मुक्त रख़ा जायेगा ।

(घ) वक्फ़ बोर्ड को स्वायत्तता प्रदान करते हुए उसे कानूनी दर्जा देकर सभी प्रशासनिक अधिकार दिये जाये

9 उर्दू भाषा के विकास के लिए मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद की तरह बिहार में भी एक केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी ।

10 आबादी के अनुरूप राज्यों में द्वितीय राजभाषा के रूप में सरकारी कार्यालयों में उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जायेगा ।

11 मदरसों में पढने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जायेगी तथा मदरसों के भवन निर्माण के लिए राशि की व्यवस्था की जायेगी ।

12 राष्ट्रीय अल्पसंख़्यक विकास एवं वित्त निगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जायेगा तथा ऋण की शर्तों को आसान बनाया जायेगा । शिक्षा ऋण के लिये वार्षिक आय की सीमा की शर्त को समाप्त कर तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी जरूरतमंद अल्पसंख़्यक छात्र-छात्राओं को आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराया जायेगा एवं मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जायेगी ।

13 कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी और अतिक्रमण से बचाव के लिए कानून बनाया जायेगा ।

14 अल्पसंख़्यक समुदाय के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की तरह प्रत्येक 25000 की आबादी पर एक उर्दू आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की जायेगी ।

15 उर्दू आबादी के अनुपात में आवश्यकतानुसार उर्दू प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी ।

16 प्रत्येक जिला मुख़्यालय में एक अल्पसंख़्यक छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।

17 बैंकिंग – व्यवस्था में सूद-रहित (इन्टरेस्ट फ़्री) बैंकिंग का प्रावधान किया जायेगा, जिसकी अनुशंसा डा0 रघुराम राजन की अध्यक्षता में गठित योजना आयोग की उच्चस्तरीय समिति (सी0एफ़0एस0आर0) ने की है ।

18 सरकार के सभी नियुक्ति-निकायों (लोक सेवा आयोग एवं अन्य) में अल्पसंख़्यक समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ।

19 बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने अल्पसंख़्यक आयोग द्वारा 2004 में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति के संबंध में जो सर्वेक्षण कराया था, वैसा ही अन्य राज्यों में भी सर्वेक्षण कराकर उसकी अनुशंसाओं को लागू किया जायेगा ।

बाल-श्रम की समाप्ति

राष्ट्रीय जनता दल मानता है कि बाल मजदूरी न सिर्फ़ कानूनी अपराध है, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी अमानवीय है । बच्चे समाज और राष्ट्र के भविष्य होते हैं । अतः उनकी समुचित शिक्षा-दीक्षा, देख़भाल और उनके सर्वतोन्मुखी विकास के लिए परिवेश उपलब्ध कराना समाज का दायित्व है । इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल बाल-श्रमिक कानून को सख़्ती से लागू करायेगा ।

गरीबी के कारण जो बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश होते हैं, उनके परिवारों को रोजगार या उपार्जन की वैकल्पिक व्यवस्था करने का उपाय किया जायेगा । राष्ट्रीय जनता दल केन्द्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन के बाद बिहार की तरह अन्य राज्यों में बाल-श्रमिक आयोग गठित करने की पहल करेगा ।

युवा नीति

राष्ट्रीय जनता दल का मानता है कि युवक राष्ट्र के कर्णधार हैं । हमारा यह विश्वास है कि इस राष्ट्र के युवा वर्ग को एक मुक्त और समृद्ध वातावरण में फ़लने-फ़ूलने का अधिकार हैं। ऐसे वातावरण के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधाएं होना जरूरी है, जिसमें खेल-कूद और रोजगार के अवसर भी शामिल हैं । हम युवा वर्ग को प्रोत्साहित करेंगे कि वे नीति-निर्धारण में सहभागी बने और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारियों में हाथ बटाएं ।

युवाओं की ऊर्जा और क्षमता को हम राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में लगाने में यकीन रखते हैं । जैसे वयस्क शिक्षा, ख़ास कर अनपढ लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी, सबकों शिक्षा, परिवार नियोजन के विषय में शिक्षा एवं जानकारी, बाल मजदूरी समाप्त करने का

अभियान, पर्यावरण सुरक्षा, नशीली दवाओं के सेवन की लत तथा उससे होने वाले अपराध के विरूद्ध अभियान आदि ऐसे काम हैं जिनमें युवाओं की शक्ति और क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए । चूंकि युवा ही हमारे कल के भविष्य हैं, इसलिए रचनात्मक छात्र अभियानों के तहत उनके अंदर नेतृत्व का गुण विकसित किया जाना चाहिये । इसके जरिए उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, जबावदेही की भावना जैसे मूल्यों और आदर्शों को विकसित किया जा सकता है । स्व-रोजगार के लिए युवाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न शहरों में युवा आवास (यूथ – हौस्टल) का निर्माण कराया जायेगा ।

बुजुर्गों का सम्मान

राष्ट्रीय जनता दल मानना है कि बुजुर्ग समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनका सम्मान और कल्याण समाज का दायित्व है । इन वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान और अनुभव का लाभ न केवल परिवार को बल्कि समूचे समाज को मिलता है । भारत में लगभग 74 करोड़ मतदाता हैं जिनमें 12.5 प्रतिशत बुजुर्ग हैं । इनमें 55 से 60 प्रतिशत मतदान करते है । इस तरह संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कारगर बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है ।

राष्ट्रीय जनता दल बुजुर्गों के सम्मान एवं कल्याण हेतु वरिष्ठ नागरिक सेवा-योजना शुरू करेगा; जिसके अन्तर्गत उनके स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी । शहरों में वरिष्ठ नागरिक आवासों का निर्माण कराया जाये । गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले वृद्ध-जनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढोत्तरी की जायेगी और नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा ।

पर्यावरण

गरीबी को दूर करने के लिए हम कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं । किंतु हम पर्यावरण को बचाना भी उतना ही जरूरी समझते हैं, क्योंकि यह हमारे पास भावी पीढियों के लिए एक धरोहर के रूप में मौजूद हैं । हम ऐसी रणनीतियां तैयार करेंगे, जिनसे दोनों लक्ष्य पूरे हो ।

राष्ट्रीय जनता दल छोटे और बड़े क्षेत्रों में कृषि और औधोगिक विकास को बढावा देगा । इसके लिए ऐसी टेक्नोलोजियों का इस्तेमाल किया जायेगा जो पर्यावरण को नष्ट नहीं करती । अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में, जैसे कि मोंट्रियाल संधि और जलवायु परिवर्तन संधि में

इस बात का ख़्याल रख़ा जाएगा कि भारतीय हित सुरक्षित रहे । राष्ट्रीय जनता दल वनरोपन, जलविभाजक (वाटरशेड), पुनर्जीवन और जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) संरक्षण पर विशेष ध्यान देगा । सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत बंजर भूमि पर वृक्ष लगाये जायेंगे । सड़कों के किनारे अथवा बंजर भूमि पर पोपुलस और युक्युलिप्टस के पेड़ लगायेंगे, जिससे कागज अथवा प्लाईउड का निर्माण हो सकेगा ।

जैव विविधता और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा

भारत वनस्पति तथा पशुधन से समृद्ध देश है । जैव प्रौद्योगिकी और हर्बल दवा तथा अन्य हर्बल पदार्थों के इस युग में यह जैव विविधता देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है ।

हमारा यह मानना है कि हमारे जैव संसाधनों तथा हमारे ग्रामीण और आदिवासी लोगों की इन संसाधनों के बारे में देशीय जानकारी के बल पर भारत आत्मनिर्भर होकर आर्थिक विकास कर सकत है । यह विकास, गांव से शुरू होकर देश भर में छा सकता है ।

राष्ट्रीय जनता दल भारतीय लोगों की अपने जैव संसाधनों और देशीय टेक्नोलौजी पर मिल्कियत कायम करेगा । हम भारत के जैव संसाधनों या इसके परम्परागत ज्ञान पर आधारित किसी पदार्थ पर पेटेंट की अनुमति नहीं देंगे ।

भ्रष्टाचार-निरोध

राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है । उसी तरह से हमारी यह भी दृढ मान्यता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक बदले का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा । हम कानून को लागू करने वाली एजेंसियों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करेंगे ताकि राजनीतिक बदला चुकाने के लिए ऐसी एजेंसियों का दुरूपयोग नहीं किया जा सके ।

ऊर्जा

हमारा यह मानना है कि भारत के विकास के लिए बिजली की अत्यंत आवश्यकता है । हम अगले 50 वर्षों के लिए एक व्यापक ऊर्जा नीति तैयार करेंगे जिसके अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों जैसे कोयला, जल, सूर्य और वायु से पैदा की जाने वाली बिजली की मात्रा निश्चित की जाएगी । हम पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलाजियों से बिजली उत्पादन को बढावा

देंगे । राष्ट्रीय जनता दल की नीति यह होगी कि सूर्य, वायु और भू-ताप जैसे वैकल्पिक संसाधनों से बिजली का उत्पादन बढाया जाए और इन क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए ।

विज्ञान और टेक्नोलाजी

हमारी पार्टी देश में वैज्ञानिक सोच के स्तर को बढाने की कोशिश करेगी । हम जैव तकनीक, सुपर कम्प्यूटर, सूचना तथा अंतरिक्ष टेक्नोलाजियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को प्राथमिकता देंगे ।

राष्ट्रीय जनता दल विज्ञान तथा टेक्नोलाजी को गाँवों तक ले जाने का प्रयास करेगा, ताकि नई टेक्नोलाजी को जोड़कर ग्रामीण व्यवसायों और उत्पादन के तरीकों को सुधारा जा सके । वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास और प्रयासों को बढाने के लिए हम उपयुक्त टेकनोलाजी के विकास और प्रयासों को बढावा देंगे । विज्ञान एवं टेक्नोलाजी के लिए आवंटित धन-राशि में वृद्धि की जाएगी । विज्ञान एवं टेक्नोलाजी तथा अभियांत्रिकी का अधिकतम उपयोग आर्थिक उपलब्धता बढाने और लोगो के जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए किया जायेगा ।

(क) सूचना प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय जनता दल सौफ़्टवेयर उद्योग को बढावा देगा, जो कि हमारे देश के बढते हुए उद्योगों में से एक है । इंटरनेट सेवाओं के अधिकतम विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा ।

(ख़) जैव प्रौद्योगिकी

ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल प्रौद्योगिकी का कड़ाई से समर्थन करेगा । जैव प्रौद्योगिकी को भारतीय अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख़ क्षेत्र के रूप में परिलक्षित करेगा ।

सरकार में पारदर्शिता

राष्ट्रीय जनता दल नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार करता है और प्रेस को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करेगा । हम ख़रे और सहभागिता वाले शासन के हक में है।

उत्तर-पूर्व और जम्मू तथा कश्मीर

राष्ट्रीय जनता दल विदेश नीति के मामले में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करता है । पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध और उनके साथ मुक्त द्विपक्षीय व्यापार हमारी आर्थिक नीति को आधारशिला होगी । शीतयुद्ध का ख़ात्मा, यू.एस.एस.आर. का विघटन, ख़ाड़ी युद्ध और विश्व की बढती आर्थिक समेकित स्थिति ने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं । इस परिप्रेक्ष्य में, देश की आर्थिक नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और राष्ट्रीय सहमति पर आधारित नई दिशा तय की जाएगी । भारत के हितों की रक्षा चाहने वाले देशों के साथ भाईचारापूर्ण संबंधों की स्थापना का प्रयास किया जाएगा जो कि दोनों देशों के लिए लाभदायक होगा । वैसे देशों के साथ, जिनसे हमारे संबंधों में तनाव आ गया है; लघु, मध्य एवं लंबे समय के लाभ को ध्यान में रखकर, पुनः विश्वास बहाल करने के उपायों पर जोर दिया जाएगा । संयुक्त राष्ट्र, कौमनवेल्थ, नौन-एलाइन मूवमेंट और इन्टर पार्लियामेन्टरी यूनियन में सक्रिय भूमिका अदा कर बहुआयामी प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाएगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों को, राजनैतिक एवं राजनयिक संबंधों के बराबर महत्व दिया जाएगा, क्योंकि देशों के बीच आर्थिक एवं व्यवसायिक सहयोग एक-दूसरे से सहभागिता बढाता है । इस उद्देश्य के लिए हम लोग क्षेत्रीय एकता प्रयासों यथा-सार्क, ए.एस.इ.एस.एन. (ASEAN), इंडियन ओसियन रिइनिशियेटिव इत्यादि में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे और इसको बढाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि देश को आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर विश्व शक्ति में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में कारगर पहल की जायेगी । अभी तक दुनिया में पश्चमोन्मुख़ नीति चल रही है । हमारा प्रयास होगा कि पूर्वोन्मुख़ नीति भी दुनिया में चले ।

हम किसी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे लिए नई टेक्नोलाजियों के विकास में बाधा बन सकती है । यह बात गैट, ट्रिप्स, मोंट्रियाल संधि और दोहरी उद्देश्य वाली टेक्नोलाजियों पर भी लागू होगी ।

हम अपने क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त परमाणु नीति विकसित करने के हक में हैं । हमारी परमाणु नीति हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अभिन्न अंग होगी ।